क्रम-संख्या—32

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 19 जनवरी, 1979

पौष 29, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 211/सत्रह-वि0-1--54-78

लखनऊ, 19 जनवरी, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 12 जनवरी, 1979 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1979)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 1 सन् 1961 की धारा 22 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"22(1) निर्धारण तालिका में दर्ज राशि उस दिनांक को, जब धारा 14 के अधीन भूमि का कब्जा लिया जाय, और जहाँ राशि पाने के हकदार व्यक्ति को विभिन्न भूमि पर कब्जा विभिन्न दिनांकों पर लिया जाय, वहाँ ऐसे दिनांकों में से अंतिम दिनांक को, देय हुई समझी जायगी।

राशि के भुगतान की रीति

(2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारण तालिका में दर्ज राशि पर, उपधारा (1) के अधीन उसके देय होने के दिनांक से, यथास्थिति, धारा 20 या धारा 21 के अधीन उसके अंतिम अवधारण के दिनांक तक साढ़े तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जायगा।

(3) धारा 23 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्याज सहित राशि का भुगतान निम्नलिखित प्रकार से किया जायगा—

(एक) यदि वह एक हजार रुपये से अधिक न हो तो नकदी में एकमुश्त;

(दो) किसी अन्य स्थिति में, पाँच वार्षिक किस्तों में जिनमें से पहली किस्त एक हजार रुपये की होगी और शेष, चार वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में देय होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, स्वविवेकानुसार, बकाया राशि का भुगतान किसी समय कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह भी है कि खंड (दो) में निर्दिष्ट चार वार्षिक किस्तों की स्थिति में, बकाया राशि पर यथास्थिति, धारा 20 या धारा 21 के अधीन राशि का अंतिम अवधारण किये जाने के दिनांक से उस दिनांक तक, जब प्रत्येक ऐसी किस्त देय हो, साढ़े तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज दिया जायगा।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार को अतिरिक्त भूमि के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व से पूर्णतः उन्मुक्त करेगा, किन्तु उस व्यक्ति के प्रति जिसे उक्त राशि के संबंध में इस प्रकार भुगतान किया जाय, किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 211(2)/XVII-V-1—54-78

Dated Lucknow, Janurary 19, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhikatam Jot Seema Aropan (Sanshodhan) Adhiniyam 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1979) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 12, 1979.

THE UTTAR PRADESH IMPOSITION OF CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) ACT, 1978

(U. P. Act no. 5 of 1979)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960.

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1978.

2. *For* section 22 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, the following section shall be *substituted*, namely :— Substitution of section 22 of U. P. Act no. 1 1961.

"22(1). The amount entered in the assessment roll shall be deemed to have become due on the date on which possession of the land is taken under section 14, and where possession of different lands of the person entitled to the amount is taken on different dates, on the last of such dates. Manner of payment of amount.

(2) There shall be paid by the State Government on the amount entered in the assessment roll, interest at the rate of 3½ per cent per annum from the date it becomes due under sub-section (1) to the date of its final determination under section 20 or section 21, as the case may be.

(3) Subject to the provisions of section 23, the amount with interest referred to in sub-section (2) shall be paid—

(i) if it does not exceed rupees one thousand, in cash in one lump-sum ;

(ii) in any other case, in five annual instalments of which the first instalment shall be of rupees one thousand, and the remainder shall be payable in four years in annual equal instalments :

Provided that the State Government may, in its discretion, make full payment of the amount outstanding at any time :

Provided also that in case of the four annual instalments referred to in clause (ii), further interest on the amount outstanding shall be paid at the rate of 3½ per cent per annum from the date of final determination of the amount under section 20 or section 21, as the case may be, till the date when each such instalment falls due.

(4) The payment of the said amount in accordance with the provisions of this Act shall be full discharge of all liability of the State Government in respect of the surplus land, but shall not prejudice the right of any other persons against the person to whom such payment is so made in respect of the said amount."

By order,
R C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 366 सा० (विधा०)—19-1-79—(3539)—1979—650 (मेक०)।